



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 43-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 8, 2017 (PHALGUNA 17, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 मार्च, 2017

संख्या एम.आई.एस.सी.-138ए/एस.डी.(बी.एस)/2017/4451.-पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिये नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या एम.आई.एस.सी.-138ए/एस.डी.(बी.एस.)/2016/13167 दिनांक 1 जुलाई, 2016 के प्रतिनिर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 को हरियाणा राज्यार्थ आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

नियम

1. ये नियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 के भाग-7 (भवन नियम) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"भाग-7

भवन नियम"

"38-125 नियन्त्रित क्षेत्र में भवन गतिविधियां नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की वेबसाईट पर 30 जून, 2016 को डाली गई तथा समय-समय पर यथा संशोधित 'हरियाणा भवन संहिता' द्वारा शासित की जायेंगी।"

अरुण कुमार गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

Notification

The 8th March, 2017

No. Misc-138A/SD(BS)/2017/ 4451.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 25 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and with reference to Haryana Government, Town and Country Planning Department, Notification No. Misc-138A/SD(BS)/2016/13167, dated the 1st July, 2016, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in their application to the State of Haryana, namely:-

RULES

1. These rules may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Rules, 2017.
2. In the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, Part-VII (Building Rules) is substituted as under:—

“PART-VII

BUILDING RULES”

- “38-125. The building activity in the controlled areas shall be governed by ‘The Haryana Building Code as hosted on the website of the Town & Country Planning Department on 30th June, 2016 and as amended from time to time.’”

ARUN KUMAR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department, Chandigarh.